खातेदार मल बनाम कमल कुमार वगै.

दावा

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

मु.नं. 34/2021

राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम– 18 से 21 के अनुसार राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांकः राम/ न्याया/ स्था/ प–51/ 2008/ विविध 10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया जावें। उक्तानुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा मॅगवाये जाने हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाती है।

इसी अनुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी हों। प्रकरण में विधिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मॅगवायें जाने हेतु तहरीर आदेश जारी हो। वास्ते प्राप्त होने विधिक विभाजन प्रस्ताव पत्रावली दिनांक 23.03.2021 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

22.03.2021 वकील वादी के प्रार्थना पत्र मिसल तलबी का पेश करने पर पत्रावली आगामी तारीख पेशी 23.03.2021 से पूर्व तलब होकर आज पेश हुई। वकील वादी ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र बाबत वादपत्र में कृषि भूमि का खसरा नम्बर छुट जाने से एंव प्रकरण में भूमि के सह खातेदारान काश्तकार और होने से उक्त वादपत्र को विड्रा किये जाने की अनुमति प्रदान कर नया वादपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान कर नया वादपत्र प्रस्तुत करने की इजाजत के साथ वादपत्र को विड्रा कर खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

अतः वकील वादी के निवेदन पर प्रार्थना पत्र विड्रा स्वीकार कर वादपत्र को विड्रा कर खारीज किये जाने एवं नया वादपत्र पेश करने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2021.04.09 12:50:05 IST
Reason: SelfAttested

(लक्ष्मीकान्त गुप्ता)
सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक
श्रीमाधोपुर(सीकर)